

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-12/2015/460(1)/77-4-15-100एन./14

लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री यादव सिंह (निलम्बित), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, नौएडा, एवं तत्कालीन महाप्रबंधक, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के विरुद्ध उपर्युक्त कथित अनियमितताओं की विश्वसनीय एवं निष्पक्ष जांच हेतु, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-60 सन् 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना संख्या: रिट.145/77-4-14-100एन/14 दिनांक 10.02.2015 के माध्यम से माओ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माओ न्यायमूर्ति श्री अमर नाथ वर्मा, निवासी एओपीओ सेन रोड, लखनऊ को एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमर नाथ वर्मा के पत्र दिनांक 20.02.2015 की संस्तुति पर श्री ज्ञान चन्द्रा, एचओजेओएसओ (रिटाओ) स्थानीय पता-सी-849 सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ, को एकल सदस्यीय जांच आयोग का पूर्ण कालिक सचिव नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
3. एकल सदस्यीय जांच आयोग के पूर्णकालिक सचिव के रूप में श्री ज्ञान चन्द्रा का कार्यकाल जांच आयोग की कार्य-अवधि तक होगा।
4. परिलब्धियों का निर्धारण कर बाद में सूचित कर दिया जायेगा।
5. अवधि परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन अधिकृत होगा।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 460(2)/77-4-15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमर नाथ वर्मा, रेजि. 10/2, एओपीओसेन रोड, लखनऊ।
2. श्री ज्ञान चन्द्रा, एचओजेओएसओ (रिटाओ), सी-849 सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उओप्रओ शासन।
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3 उओप्रओशासन।
5. महालेखाकार, उओप्रओ, इलाहाबाद।

6. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
8. जिलाधिकारी, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
9. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश पाठक)

विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in/80>